वीडियो कान्फरेंसिंग

संख्या– 1309 बी/क0नि0–6–2017

प्रेषक

राजेन्द्र सिंह मौर्य
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर, 2017

विषय लघु एवं सीमान्त किसानों उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के कियान्वयन के संबंध में वीडियो कान्फरेंस का आयोजन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयगत योजना में मुख्य सचिव महोदय दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को प्रातः 10.00 बजे वीडियो कान्फरेंस करेंगे। इस वीडियो कान्फरेंस में मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा/निर्देश प्रदत्त किए जाएंगे–

1. जनपदों से प्राप्त द्वितीय एवं तृतीय चरण में सम्पन्न कार्यवाही जिसकी अद्यतन स्थिति समस्त जनपदों से प्राप्त की गयी है। (प्रारूप संलग्न)
2. Restructured Loan संबंधी डाटा की अद्यतन स्थिति।
3. प्रत्येक जिले में तृतीय चरण के प्रारम्भिक आंकड़ों के आधार पर पूर्व की वीडियो कान्फरेंसिंग में जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये भौतिक सत्यापन के डाटा के सापेक्ष सम्भावित कृषकों की संख्या जिन्हें लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।
4. द्वितीय चरण के अन्तर्गत 27 सितम्बर को कैम्पों के आयोजन के संबंध में।

अतएव अनुरोध है कि कृपया बिन्दु संख्या–1 के संबंध में संलग्न प्रारूप में वांछित सूचना तैयार कराते हुए वीडियो कान्फरेंस में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संख्या– 1309 (1)बी / क0नि0–6–2017, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक की सूचना सहित वीडियो कान्फरेंस में प्रतिभाग करने हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः–

1. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि एजेण्डा बिन्दु संख्या–1 में वर्णित प्रारूप पर सूचना संकलित कर वीडियो कान्फरेंस में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध से कि वे अपने स्तर से सूचना संकलित करके एजेण्डा बिन्दु संख्या–1 में वर्णित प्रारूप के स्तम्भ– 4 से 9 तक सूचना जिलेवार संकलित कर उसे बिन्दुवार बढ़ते से घटते क्रम में प्रत्येक बिन्दु के लिए जिलेवार रिपोर्ट संकलित कर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संख्या– (2)बी / क0नि0–6–2017, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री अमृत त्रिपाठी), संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को पूर्वान्ह 10.00 बजे आयोजित वीडियो कान्फरेंसिंग में फसल ऋण मोचन योजना के कियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के बिन्दु संख्या–1 से संबंधित प्रारूप

जनपद का नाम : ....

कुल किसानों की संख्या जिनके सापेक्ष द्वितीय चरण में धनराशि की डिमाण्ड जनरेट की गयी है	प्रथम एवं द्वितीय चरण में लाभान्वित किए गए कुल किसानों की संख्या	कुल किसानों की संख्या जिनके प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय चरण में जिला स्तरीय समिति द्वारा अस्वीकृत **(reject)** किये गये है	द्वितीय चरण में विभिन्न कारणों से PENDING रखा गया कुल (आधार–लिंक्ड तथा नॉन–आधार लिंक्ड) डाटा						द्वितीय चरण में तहसीलों द्वारा **PENDING** रखा गया कुल नॉन–आधार–लिंक्ड डाटा	द्वितीय चरण में **PENDING** रखा गया कुल आधार–लिंक्ड डाटा	तहसील द्वारा अस्वीकृत (reject) किया गया कुल नॉन–आधार लिंक्ड डाटा
			कुल मृतक कृषकों से संबंधित प्रकरण	Restructured Loan संबंधी प्रकरण	अन्य जनपदों (Other Districts) के प्रकरण	ऐसे प्रकरण जिनमें शपथपत्र नहीं है	जनपद के बाहर निवास करने वाले प्रकरण	जो डाटा द्वितीय चरण में भूलेख मैप नहीं हुआ है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PROFORMA/mahesh/vc cs 18